सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 500 राँची, बुधवार, 12 नवम्बर, 2025 (ई०)

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2025

संख्या- 06/ज.स.वि.-105-विविध-17/2012 - 5074-- भारत के संविधान के अनुच्छेद-166 के खण्ड-(2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं.-4590, दिनांक-29.10.2018 द्वारा गठित झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए जल संसाधन विभाग हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते है :-

1.(1) यह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2 मूल नियमावली के नियम 5.1 (निबंधन के लिए अभिलेख जमा करने से संबंधित) के पश्चात् उपनियम 5.1.7 के रूप में निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाता है -

5.1.7 झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 (Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017) के अंतर्गत निबंधित जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र (GST Registration Certificate)।

3. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 500 - 50